FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0078 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/03/2026 18:48 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 20/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:45 बजे **Time To (समय तक):** 14:18 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/03/2026 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/03/2026 18:48:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 545 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** TEHASIL KARAYALAY KE PASS, SIMALWARA JILA DUNGARPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAHESH KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMLAL DAMOR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MANDLI, DHAMBOLA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MANDLI, DHAMBOLA, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMESHCHANDRA SUWALKA		पिता:BANSHI LAL SUWALKA	1. BSNL TOWAR KE PASS,,GADA PATTA PEETH ROAD,SIMALWARA,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी, वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 18.03.2026 को मन् पुलिस उप अधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित राजकार्य से व माननीय न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2026 मे अनुसंधान अधिकारी को मय पत्रावली के राज. उच्च न्यायालय जोधपुर मे तलब करने पर अपने कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज की चाबी व चौकी का चार्ज श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक के जिम्मे कर समय 03.00 पी.एम पर कार्यालय से रवाना हुआ । समय करीब 03.45 पी.एम परिवादी श्री महेश कुमार डामोर पिता रामलाल डामोर जाति डामोर उम्र 33 वर्ष निवासी माण्डली पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर ने उपस्थित ब्यूरो कार्यालय होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आश्य की पेश की " निवेदन इस प्रकार है की मुझ प्रार्थी महेश कुमार डामोर पिता रामलाल डामोर उम्र 33 वर्ष निवासी माण्डली पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर का इस प्रकार है की मेरे व मेरा भाई प्रकाशचन्द्र के मकान गांव माण्डली में स्थित है । हमारे मकानों के पट्टे नही बने हुए है । पट्टे बनाने हेतु ग्राम पंचायत माण्डली मे ग्राम विकास अधिकारी को आवेदन किया ,आवेदन किए 3,4 महीने हो गए लेकिन ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेशचन्द्र जी ने हमारे घरो के मौका तो देखा लेकिन पट्टे नही दे रहे है पट्टो के बदले 8000/- रूपयो की रिश्वत की मांग कर रहे थे। मेने मेरे पट्टे के 4000/- रूपये दिए तो मेरा पट्टा दिया लेकिन 4000/- रू. जो लिए उसकी रसीद नही दी मेरे भाई प्रकाश के घर का पट्टा अब तक नही दिया है । ग्राम विकास अधिकारी रमेशचन्द्र 4000/- रूपये की मांग कर रहा मै और मेरा भाई प्रकाशचन्द्र रमेशचन्द्र को रिश्वत राशि नही देना चाहते है। हम उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। अभी मै शिकायत करने आया हुं।। मेरा भाई प्रकाश मेघरज काम कर रहा है । आगे सीमलवाडा मिल जाएगा ग्राम विकास अधिकारी रमेशचन्द्र से बात करने के लिए मै या मेरा भाई प्रकाश दोनो मै से कोई एक जाएगा मेरे और मेरे भाई प्रकाश के ग्राम विकास अधिकारी रमेशचन्द्र से कोई उधारी लेन-देन बाकी नही है । मै उनको रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हु। कार्यवाही करावे।" पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री महेश कुमार द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वंय का आधार कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया गया। जिस पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो परिवादी ने बताया कि मै फरवरी माह मे ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेशचन्द्र जी से जाकर मिला तब पट्टो के बदले 8000/- रूपयो की रिश्वत की मांग कर रहे थे। मेने मेरे पट्टे के 4000/- रूपये दिए तो मेरा पट्टा दिया लेकिन 4000/- रू. जो लिए उसकी रसीद नही दी मेरे भाई प्रकाशचन्द्र के घर का पट्टा अब तक नही दिया है। ग्राम विकास अधिकारी रमेशचन्द्र 4000/- रूपये की मांग कर रहा है मेरा भाई मेघरज गुजरात मे काम करता है जिससे मेरी बात हुई है । वो सीमलवाडा मिल जायेगा ग्राम विकास अधिकारी रमेशचन्द्र से बात करने के लिए मै या मेरा भाई प्रकाशचन्द्र दोनो मै से कोई एक जाएगा हमारी ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेशचन्द्र से कोई पुरानी दुश्मनी या लेन-देन बाकी नही है। जिस पर कार्यालय के कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नं0 390 को पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री महेश कुमार व कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नं0 390 का आपस में परिचय कराया गया व परिवादी व कानि0 के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये गये। कानि. श्री जितेन्द्र कुमार नं. 390 को बताया गया की परिवादी का भाई मेघरज मे काम करता है जिससे परिवादी कि बात हो गई है। वो सीमलवाडा मिल जायेगा ग्राम विकास अधिकारी रमेशचन्द्र से बात करने के लिए परिवादी श्री महेश या उसका भाई प्रकाशचन्द्र दोनो मै से कोई एक जाएगा । परिवादी ने बताया कि ग्राम विकास अधीकारी रमेशचन्द्र अभी तहसील कार्यालय सीमलवाडा के सामने उनके घर पर मिल जायेगें। राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड MORJIM 4GB निकाल कर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वोईस रिकॉर्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी माण्डली से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के श्री जितेन्द्र कुमार कानि. न. 390 को सुपुर्द कर परिवादी के भाई सहपरिवादी श्री प्रकाश को डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश हेतु निर्देशित कर परिवादी श्री महेश कुमार व

कानि श्री जितेन्द्र कुमार नं. 390 को मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के कानि श्री जितेन्द्र कुमार की निजी मोटर साईकिल से समय करीब 04.12 पी.एम सीमलवाडा के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 08.00 पी.एम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. न. 390 मय डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया व श्री जितेन्द्र कुमार कानि. ने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मै व परिवादी महेश श्रीमान के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो समय 05.45 पी.एम पर तहसील कार्यालय सीमलवाडा के पास पहुंचे जहा सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र उपस्थित मिला जिसे मन् कानि द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर समय करीब 06.01 पी.एम पर डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर सपरिवादी को सुपुर्द कर संद्विग्ध श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु सहपरिवादी को तहसील कार्यालय सीमलवाडा के सामने संद्विग्ध श्री रमेशचन्द्र के घर के लिए रवाना किया तथा मै व परिवादी श्री महेश कुमार आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहे । तत्पश्चात समय करीब 06.23 पी.एम पर सपरिवादी मेरे पास आकर सपरिवादी ने मुझे डिजीटल वोईस रिकॉर्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। सपरिवादी ने मुझे बताया कि रिश्वत राशि मांग का सत्यापन हो चुका है। जिस पर मन् कानि. द्वारा श्रीमान से जरिये मोबाईल वार्ता की गई तथा मन् कानि के मोबाईल से परिवादी व सपरिवादी की वार्ता श्रीमान से करवाई गई। तत्पश्चात श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी व सपरिवादी को दिनांक 19.03.2026 को 11.30 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबंद कर गोपनीयता बरतने की हिदायत कर मन् कानि. डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। जिस पर पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र व संद्विग्ध श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट में बताये गए कथनो की ताईद होकर संद्विग्ध श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र से रिश्वत राशि 4000/-रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को तथा यथास्थिति पुलिस निरीक्षक द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 19.03.2026 को समय करीब 12.20 पी.एम पर परिवादी श्री महेश कुमार व सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र डामोर पिता रामलाल डामोर जाति डामोर उम्र 32 वर्ष निवासी माण्डली पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर उपस्थित कार्यालय आये। सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र डामोर ने अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वंय का आधार कार्ड पेश किया जिसका अवलोकन किया गया तो पिता का नाम रामचंन्द्र डामोर लिखा हुआ पाया गया। इस सम्बधं में पुलिस निरीक्षक ने सपरिवादी से मजीद दरियाफ्त की तो सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र ने बताया कि मेरे पिता का नाम रामलाल डामोर है आधार कार्ड मे सेवन से रामचंन्द्र डामोर लिखा हुआ है । श्री महेश कुमार मेरा भाई है । जब मेरा भाई श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी से हमारे पट्टो के लिए मिला तो श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी ने पट्टो के बदले 8000/- रूपयो की रिश्वत राशि की मांग की जब इसने 4000/- रूपये दिए तो इसका पट्टा दे दिया लेकिन 4000/- रू. जो लिए उसकी रसीद नही दी मेरे घर का पट्टा अब तक नही दिया है। ग्राम विकास अधिकारी रमेशचन्द्र 4000/- रूपये की मांग कर रहा है। मै मेघरज मे काम करता हुं। मेरे भाई ने मुझे बताया की वो श्री रमेशचन्द्र के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मे कार्यवाही करवा रहा है। जिस पर मै कल मेघरज से आया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु मै ब्यूरो का डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को लेकर श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी से मिला तो उन्होने मेरे से कहा की पट्टो के 5000/- रूपये देने पडेंगे मेरे द्वारा कम करने के लिए कहा तो 4000/- रूपये से कम नही होगा बोल कर रिश्वत राशि मांग रहा है। उक्त वार्ता को मैने डिजिटल वोईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। मै इनको रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। कार्यवाही करावे। जिस पर परिवादी श्री महेश कुमार व सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र को संदिगध श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000/- रूपये लेकर दिनांक 20.03.2026 को समय 10.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रवाना किया। हालात उच्चधिकारी को अर्ज किये। तत्पश्चात समय 05.30 पी.एम पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से उच्चधिकारी द्वारा पुलिस निरीक्षक को अपराध सं. 245/24 मे गिरफ्तारी वारंट की तामील हेतु तुरन्त मुम्बई महाराष्ट्र जाने के आदेश प्राप्त होने पर उक्त समस्त हालात पुलिस निरीक्षक द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को जरिए मोबाईल निवेदन किये गये तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक के आदेशानुसार परिवादी श्री महेश कुमार द्वारा दिनांक 18.03.2026 को पेश हस्तलिखित रिपोर्ट तथा सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र व संदिग्ध श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 18.03.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो सपरिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकोर्ड की गई उक्त डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड जो पूर्व से मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे सुरक्षित रखी हुई थी। उक्त दराज की चाबी श्री करण सिंह एएसआई को सुपुर्द की गई। पुलिस निरीक्षक वारण्ट तामील हेतु महाराष्ट्र मुम्बई के लिए रवाना हुआ। दिनांक 20.03.2026 को समय करीब 10.00 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से मय प्रकरण संख्या 03/2026 की पत्रावली के हाजिर कार्यालय हो मुकिम हुआ। समय करीब 10.10 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी

उदयपुर से हाजिर आये जिन्हे कार्यालय मे बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 10.12 ए.एम पर श्री करण सिंह ए.एस.आई द्वारा परिवादी श्री महेश कुमार द्वारा दिनांक 18.03.2026 को पेश हस्तलिखित रिपोर्ट तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज की चाबी मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की जिस पर परिवादी श्री महेश कुमार द्वारा दिनांक 18.03.2026 को पेश हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल की दराज मे रखा ब्यूरो के डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकोर्ड सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र व संदिग्ध श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 18.03.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो सपरिवादी द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वोईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकोर्ड की गई उक्त वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुने गये तो रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि हुई। तत्पश्चात समय 10.45 ए.एम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री महेश कुमार व सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र उपस्थित कार्यालय आये व सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैं श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी को देने के लिये रिश्वत राशि के रूप में 4,000/- रूपये की व्यवस्था करके साथ लेकर आया हूँ । परिवादी व सपरिवादी को कार्यालय मे बैठाया गया। समय करीब 11.00 ए.एम पर श्रीमान उप निदेशक पशुपालन विभाग डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 371 दिनांक 20.03.2026 से तेहरीर जारी कर श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक को पशुपालन विभाग डूंगरपुर हेतु रवाना किया गया। समय करीब 11.30 ए.एम पर श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक व दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये। श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक ने कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डूंगरपुर का पत्र क्रमांक RAJKAJ REF.NO.दिनांक 20.03.2026 लाकर पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री अक्षय अहारी पिता श्री थावरचंद अहारी जाति मीणा उम्र-31 वर्ष निवासी शिशोद आम्बा फला, पुलिस थाना बिछीवाडा जिला डुंगरपुर हाल पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय कनबा व श्री ईश्वर लाल पिता श्री नाथुलाल जाति रोत उम्र-38 वर्ष निवासी सेलज, पुलिस थाना वरदा, जिला डूंगरपुर हाल पशुधन निरीक्षक, वैटनरी सब सेन्टर उपरगाँव होना बताया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली अग्रिम ट्रैप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर कार्यालय कक्ष में बैठे परिवादी श्री महेश कुमार व सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र को मन् पुलिस उप अधीक्षक के कक्ष मे बुलाकर परिवादी व सपरिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.03.2026 को परिवादी श्री महेश कुमार द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को परिवादी, सपरिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वोईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 18.03.2026 को सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र एवं संदिग्ध श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। समय के अभाव में फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अकब से मुर्तिब की जाकर उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया गया। समय करीब 12.05 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सपरिवादी श्री प्रकाश चन्द्र से रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर सपरिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 8 नोट कुल राशि 4000/-रूपये प्रस्तुत किये। सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र की जामा तलाशी गवाह अक्षय अहारी से लिवाई गई। जिसमें सपरिवादी के पास एक मोबाईल फोन के अलावा कुछ नही मिला जिसे सपरिवादी को सुपुर्द किया गया। सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री अख्तर खान हैड कानि. नं. 05 से मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल की दराज में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशीयो को निकलवाया जाकर कार्यालय मे टेबल पर अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। संदिग्ध श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी को देने के लिए सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र द्वारा पेश किये गये नोटों को श्री अख्तर खान हैड कानि. नं. 05 से ही सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र की पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में कोई शेष नही छोड़ते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी तथा सपरिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अख्तर खान हैड कानि. नं. 05 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी, सपरिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि यदि आरोपी द्वारा सपरिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके

हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री अख्तर खान हैड कानि. से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री अख्तर खान हैड कानि. से ही मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल की दराज में सुरक्षित रखवाई गई तथा सपरिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह संदिग्ध के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए । यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। सपरिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर पहनी हुई टोपी को उतार कर हाथ मे लेकर या मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस काल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशिया , प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये । कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों व दोनो गवाहान तथा परिवादी ,सपरिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथा संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए सपरिवादी व संदिग्ध के मध्य रिश्वत राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र को हिदायत दी गई कि रिश्वत् राशि के लेन-देन के वक्त संदिग्ध से होने वाली वार्तालाप को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करें। परिवादी, सपरिवादी स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री अख्तर खान हैड कानि. को ब्यूरो कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 12.40 पी.एम पर ट्रैप कार्यवाही के क्रम में दो महिला कानि की आवश्यकता होने से संचित निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाईन डूंगरपुर को दो महिला कानि को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 372 दिनांक 20.03.2026 से तेहरीर जारी कर श्री करण सिंह एएसआई को रिजर्व पुलिस लाईन डूंगरपुर हेतु रवाना किया गया। समय करीब 12.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को बुलाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज में से सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी (¼Galaxy XCover7 ekWMy-SM-G556B½, चार्जींग केबल, पावर बैंक व दो रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड निकलवाकर उक्त समस्त उपकरणों की जांच की गई तो उक्त समस्त उपकरण सही ढंग से संचालित होना पाये गये तथा सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी में एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड ¼SANDISK 8GB Micro SDHC½ डलवाकर उक्त सरकारी मोबाईल फोन को श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी कर वीडियों को उक्त मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करने तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी के पश्चात उक्त मूल मेमोरी कार्ड मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया तथा इसके अतिरिक्त संदिग्ध के आवास की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन के माध्यम से वीडियोग्राफी करने हेतु एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड ¼SANDISK 8GB Micro SDHC½ श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को सुपुर्द कर वीडियोग्राफी हेतु निर्देशित किया गया। समय करीब 12.53 पी.एम पर संदिग्ध श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी की लोकेशन जानने के लिए मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र के मोबाईल नं   . को लाउड स्पीकर पर रखते हुए संदिग्ध श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नं   पर कॉल करवाया गया तो संदिग्ध रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी ने बताया की ''आ जाओ मै घर पर ही हुं, उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। समय के अभाव में फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अकब से मुर्तिब की जावेगी । समय करीब 01.00 पी.एम पर श्री करण सिंह एएसआई व महिला कानि सुश्री संतोष पाटीदार नम्बर 728 तथा महिला कानि सुश्री सीमा कटारा नम्बर 995 को हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आये। उक्त महिला कानि को कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 01.15 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार कानि. 390 व सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र को कानि. कि मोटर साईकिल से डिजिटल टेप रिकार्डर मय् मेमोरी कार्ड के तहसील कार्यालय सीमलवाडा की तरफ रवाना कर पिछे-पिछे श्री करण सिंह एएसआई, श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक, महिला कानि सुश्री संतोष पाटीदार, श्री वीर विक्रम सिंह कानि. मय ट्रेप बॉक्स के सरकारी बोलेरो से रवाना कर पिछे-पिछे मन् पुलिस उप अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहान श्री अक्षय अहारी, श्री ईश्वर लाल, परिवादी श्री महेश कुमार, कानि श्री धिरेन्द्र सिंह, महिला कानि सुश्री सीमा कटारा, श्री बाबु लाल कानि, मय लेपटोप, प्रिन्टर, सरकारी मोबाईल ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधनों के प्राईवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से तहसील कार्यालय सीमलवाडा की तरफ रवाना हुए। समय करीब 02.06 पी. एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवानाशुदा तहसील कार्यालय सीमलवाडा के आस-पास पंहुच अपने-अपने वाहनो को रोड के साईड में खडा किया। जहा कानि श्री जितेन्द्र कुमार ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सपरिवादी प्रकाशचन्द्र को सुपूर्द कर संदिग्ध

श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी से रिश्वत राशि लेन देन वार्तालाप को उक्त डिजिटल वाइस रिकार्डर में रिकार्ड करने की आवश्यक हिदायत देकर वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को शुरू कर सपरिवादी को सुपुर्द कर सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र को संदिग्ध के निवास स्थान तहसील कार्यालय सीमलवाडा के सामने मकान के लिए रवाना किया व मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो मे अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए सपरिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे के इन्तजार में आरोपी के निवास स्थान के आस-पास मुकिम हुये। समय करीब 02.18 पी. एम. पर सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक व हमराहियान के पूर्वानुसार अपने-अपने वाहनो से रवाना हो आरोपी के निवास स्थान पर सपरिवादी प्रकाशचन्द्र के पास पहुंचे तो सपरिवादी रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे सपरिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की, उस डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया। जिसे मेरे द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र ने पलंग पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी हैं। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय पत्र दिखाते हुए स्वंय का तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रैप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रमेशचन्द्र सुवालका पिता श्री बंशीलाल सुहालका जाति कलाल उम्र 58 निवासी वार्ड नं 05 मुकाम पछमता पुलिस थाना रेलमगरा जिला राजसमंद वर्तमान में बीएसएनएल टावर के पास, गडा पटटा पीठ रोड सीमलवाडा जिला डूंगरपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत माण्डली तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर का होना बताया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी से रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो आरोपी कुछ नही बोला चुप रहा। जिस पर तसल्ली देकर आरोपी से वापस पूछा तो आरोपी ने कहा गलती हो गई। जिस पर पास खडा सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र ने बताया की इन्होने मकान का पट्टा देने की एवज मे अपनी मांग के अनुसार 4000/-रूपये मेरे से ग्रहण कर गिन कर पहले अपनी पहनी हुई पेन्ट की बाये साईड की जेब मे रखे। तत्पश्चात जेब से वापस निकाल कर पास मे पडे पलग के गद्दे के नीचे रखे तथा मुझे मेरे मकान का पट्टा दिया जो अभी मेरे हाथ मे है। जिस पर सपरिवादी प्रकाशचन्द्र से उसके पट्टे को लेकर बाद अवलोकन दोनो स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में रिश्वत राशि बरामद किया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह श्री अक्षय अहारी से पलग के गद्दे को ऊॅचा करवाया गया तो पलग के गद्दे के निचे 500-500 रूपये के कुछ नोट बरामद हुए, जिसे स्वतंत्र गवाह अक्षय अहारी से गिनवाये गये तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 8 नोट राशि 4000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिबशुदा फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वही पाये गये उपरोक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 8 नोट राशि 4000 रूपये को स्वतंत्र गवाह श्री अक्षय अहारी को अपने पास ही सुरक्षित रखने की आवश्यक हिदायत देकर सम्भलाई गई। रिश्वत राशि के साथ 280 रूपये मौके पर और मिले जिसके बारे पर पूछने पर आरोपी ने स्वयं के होना बताया। तत्पश्चात गवाह श्री अक्षय अहारी से आरोपी की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल ओपो कम्पनी का हो जिसमे एक जिओ कम्पनी की सिम जिसके नम्बर उक्त मोबाईल को स्वतन्त्र गवाह श्री अक्षय अहारी को सम्भलाया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में आरोपी के दोनों हाथों का धोवन एवं पहनी हुई पेन्ट बरंग महरून के आगे की बाये जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कानि. श्री वीर विक्रम सिंह से सरकारी वाहन बोलेरो में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रैप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में पीने के पानी की बोतल मे से अलग-अलग पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण गुलाबी हो गया जिसे हाजरियान को दिखाया गया तो गुलाबी होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH1 o RH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शीशियों को कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरियान को दिखाया गया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH1 o LH2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियों को कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात आरोपी के निवास स्थान पर पडे पलंग के गद्दे के नीचे मिली रिश्वत राशि के स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से ट्रैप बॉक्स में से एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें पीने के पानी की बोतल मे से पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरियान को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। पलग के गद्दे के नीचे मिली रिश्वत राशि बरामदगी स्थान पर गिली रूई को घुमाया जाकर उक्त तैयार शुदा घोल में डुबोया गया तो घोल का रंग

हल्का गुलाबी हो गया। जिसे हाजरियान ने स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों मे आधा आधा भरवाकर बन्द करा मार्क P1 o P2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियों को कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी की पहनी हुई महरून कलर की पेन्ट की बाये साईड की जेब जहाँ आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखी थी। उक्त जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी का दुसरा पेन्ट मंगवा कर आरोपी की पहनी हुई उक्त पेन्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ससम्मान उतरवाकर आरोपी को दुसरा पेन्ट पहनाया जाकर ब्यूरो कार्यालय के श्री वीर विक्रम सिंह कानि. से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवा कर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया तथा उक्त गिलास के रंगहीन घोल में उक्त पेन्ट की बाये साईड की जेब को उलटवाई कर डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब के धोवन के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे हाजरियान को दिखाया गया तो घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क MP1 o MP2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशियों को कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात उक्त पहनी हुई पेन्ट की बाये साईड की जेब को सुखाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त पेन्ट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क MP अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 08 नोट राशि 4000 रूपये जो आरोपी द्वारा पलंग के गद्दे के नीचे रखे जहा से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद किये गये जो स्वतंत्र गवाह श्री अक्षय अहारी के पास में सुरक्षित रखवाये गये थे जो श्री अक्षय अहारी द्वारा पेश किये जाने पर उक्त रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 08 नोट राशि 4000 रूपये के नोटों को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। कार्यवाही मे प्रयुक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को स्वतन्त्र गवाहान की मौजुदगी में जलाकर नष्ट किये गये। फर्द बरामदगी ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप पर आरोपी के निवास स्थान सीमलवाडा पर समय करीब 03.15 पी.एम. पर समाप्त की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान धारा 105, बी.एन.एस.एस. 2023 की पालना करते हुए उक्त रिश्वत राशि बरामदगी की वीडियोग्राफी मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बाबुलाल कानि0 नम्बर 393 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमेारी कार्ड में रिकार्ड की गई तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीब 03.20 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका से सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र एवं परिवादी श्री महेश कुमार के मकान के पट्टा हेतु आवेदन पत्रावली के बारे मे पूछा गया तो आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ने अपने पास होना बताकर अन्दर अन्य रूम से लाकर पेश की, पत्रावली का अवलोकन किया तो सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र एवं परिवादी श्री महेश कुमार दोनो की अलग-अलग पत्रावलियों मे हो पत्रावली मे आवेदन पत्र, उजरदारी नोटीस, निरीक्षण रिपोर्ट, कार्यवाही विवरण, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं खसरा नक्क्षा, जामा बन्दी लगे हुये जिने वजह सबुत लिया गया एवं आरोपी द्वारा आबादी भूमी आवन्टन/मकान। नियमितिकरण बुक प्रस्तुत की बुक का अवलोकन किया बुक ग्राम पंचायत माडण्ली बुक संख्या 23 व 152(2) जिस के अन्दर पट्टा क्रमांक 1 से 13 तक पट्टे कटे हुये पट्टा क्रमांक 5,7,8 एवं 13 असल पट्टे बुक मे लगे हुये हो उक्त पट्टे दिनांक 24.12.2025 को बनाये हुये लेकिन पट्टे धारी को पट्टे नही दिये गये है एवं उक्त पट्टे बुक के पट्टा क्रमांक 11 व 12 पर सपरिवादी व परिवादी के नाम पट्टा दिनांक 24.12.2025 को काटा गया है जिसकी कार्बन प्रतिया लगी हुई है। उक्त पट्टे बुक को वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय करीब 03.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 को रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी से वीडियोग्राफी करने तथा वीडियो को ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) में रिकार्ड करने हेतु सरकारी मोबाईल फोन मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर निर्देशित किया गया था। जिस पर श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्चात सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा । आरोपी के निवास की खाना तलाशी ली जानी हैं इस हेतु श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 के पास रखे एक रिक्त (खाली) मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) जो पूर्व में श्री बाबु लाल कानि0 को सुपुर्द किया गया था जिसे सरकारी मोबाईल फोन में लगवाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक, श्री करण सिंह एएसआई मय दोनों गवाहान एव सुश्री संतोष पाटीदार, आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका, श्री बाबु लाल कानि. मय सरकारी मोबाईल फोन के उक्त निवास की नियमानुसार खाना तलाशी ली गई तथा श्री बाबु लाल कानि0 नम्बर 393 से सरकारी मोबाईल फोन से उक्त खाना तलाशी की विडियोग्राफी करवायी गई तथा फर्द खाना तलाशी रिपोर्ट पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा श्री बाबु लाल कानि0 द्वारा उक्त निवास स्थान की खाना तलाशी की कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफी के पश्चात सरकारी मोबाईल फोन से उक्त मूल मेमोरी कार्ड (SANDISK 8GB Micro SDHC) निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया

जिसे मैने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पष्चात समय करीब 04.45 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाह् के समक्ष सपरिवादी की निशादेही से घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका पृथक से तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 05.10 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, परिवादी, सपरिवादी एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के प्राईवेट व सरकारी वाहन से आरोपी के निवास स्थान तहसील कार्यालय सीमलवाडा के सामने से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। समय करीब 06.10 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों, परिवादी, सपरिवादी एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, ट्रैप बॉक्स एवं आवश्यक संसाधन के प्राईवेट व सरकारी वाहन से रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुंच सिलचिटशुदा आर्टिकल व ट्रैप बॉक्स को कानि. श्री वीर विक्रम सिंह को सम्भलाया गया तथा दोनो महिला कानि. को जाये तेनाती पुलिस लाईन रवाना किया गया। समय करीब 06.15 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान सहपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 18.03.2026 को समय 06.01 पी.एम पर सपरिवादी श्री प्रकाश चन्द्र एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र द्वारा कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्ता में सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 07.20 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान सहपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 20.03.2026 को समय 12.53 पी.एम पर सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र के मोबाईल नं ! को लाउड स्पीकर पर रखते हुए संदिग्ध श्री रमेशचन्द्र ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नं पर कॉल करवाया उक्त वार्ता को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्ता में सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 07.50 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान सहपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 20.03.2026 को समय 02.06 पी.एम पर सपरिवादी श्री प्रकाश चन्द्र एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जिसे सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र द्वारा कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ता को चलाकर सुना जाकर उक्त वार्ता की मन् पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 द्वारा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब की गई मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्ता में सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र ने एक आवाज अपनी स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी की होने की पुष्टि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की। इसके पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय करीब 08.40 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान सहपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत माण्डली, तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर में दिनांक 18.03.2026 को सहपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका के मध्य रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 20.03.2026 को जरिये मोबाईल हुई वार्ता एवं दिनांक

20.03.2026 को रूबरू हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो उक्त समस्त वार्ताऐं जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त Morjim Micro SDHC 4GB मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, डिजीटल टेप रिकार्डर को श्री बाबुलाल कानि. से सरकारी कम्प्यूटर में कनेक्ट करा मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा वार्ताओं को कॉपी कर तीन पेन ड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08 GB की तैयार की गयी। एक मुल पेनड्राईव की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस मुल पेनड्राईव को कपडे की थैली में रखा जाकर मार्क RMP दिया जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये एवं एक पर आरोपी पेनड्राईव तथा एक पर आईओ पेनड्राईव लिखा गया। आरोपी पेनड्राईव की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये, दोनो पेनड्राईव को अनशील्ड रखा गया एवं मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मेमोरी कार्ड Morjim Micro SDHC 4GB को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर वजह सबूत जब्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मूल पेनड्राईव को मार्क RMP एवं मूल मेमोरी कार्ड को मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। तत्पश्चात समय करीब 09.05 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान सहपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत माण्डली, तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर में रिश्वत राशि बरामदगी, हाथ धुलाई, रिश्वत राशि पलंग के गद्दे के नीचे रखी गई उक्त स्थान पलंग का धोवन, आरोपी के पहनी हुई महरून कलर के पेंट की बाये साईड की जेब का धोवन के दौरान श्री बाबुलाल कानि. के द्वारा कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा विडियोग्राफी की कॉपी कर तीन पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08 GB तैयार की गयी। मुल पेनड्राईव को कपडे की थैली में रखा जाकर मार्क MPV दिया जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये एवं एक पर आरोपी पेनड्राईव तथा एक पर आईओ पेनड्राईव लिखा गया जाकर दोनो पेनड्राईव को अनशील्ड रखा गया एवं मूल मेमोरी कार्ड SanDisk Micro SD HC 8GB को मोबाईल से पृथक कर मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मूल पेनड्राईव को मार्क MPV एवं मूल मेमोरी कार्ड को मार्क M-1 अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। समय करीब 09.25 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान सहपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत माण्डली, तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर में आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका के बीएसएनएल टावर रोड के पास, गडा पट्टा पीठ रोड सीमलवाडा जिला डूंगरपुर के रिहायशी मकान की खानातलाशी के दौरान् श्री बाबुलाल कानि. से कार्यालय के सरकारी मोबाईल Samsung कम्पनी के Xcover7 से विडियोग्राफी करवाई गई थी जो उक्त मोबाईल में लगे मूल मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा विडियोग्राफी की कॉपी कर एक पेनड्राईव SANDISK Cruzer Blade 08 GB तैयार की गयी। जिस पर आईओं पेनड्राईव लिखा जाकर पेनड्राईव को अनशील्ड रखा गया एवं मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड SanDisk Micro SDHC 8GB मेमोरी कार्ड को कवर में रखकर वजह सबूत जब्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क KHM अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। समय करीब 09.30 पी.एम पर सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका पिता श्री बंशीलाल सुवालका जाति कलाल उम्र 58 निवासी वार्ड नं 05 मुकाम पछमता पुलिस थाना रेलमंगरा जिला राजसमंद वर्तमान में बीएसएनएल टावर के पास, गडा पटटा पीठ रोड सीमलवाडा जिला डूंगरपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत माण्डली तह सीमलवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार 35 ¼B½¼ii½ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानो की पालना कर जरिये पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पुत्र श्री किशन सुवालका को नियमानुसार दी गई। समय करीब 09.55 पी.एम पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत माण्डली का सेवा विवरण उपलब्ध कराने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति सीमलवाडा को जरिये पत्र क्रमांक 375 दिनांक 20.03.2026 जारी किया जाकर मेल किया गया। समय करीब 10.15 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान सहपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी के समक्ष ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत माण्डली, तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर में आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका के पहनी हुई महरून कलर की पेंट की आगे की बाये जेब में रिश्वत राशि को रखना बताया गया, उक्त पेंट को वजह सबूत जब्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मार्क MP अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। समय करीब 10.30 पी.एम पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु कार्यालय पत्रांक 373 व 374 दिनांक 20.03.2026 जारी किये गये। आरोपी ने

उक्त पत्रों पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ एवं मैं अपना स्पष्टीकरण बाद में प्रस्तुत करूंगा प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया। जिसे स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय करीब 11.00 पी.एम पर आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत माण्डली का आपराधिक रिकार्ड उपलब्ध कराने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना रेलमगरा जिला राजसमंद को जरिये पत्र क्रमांक 376 दिनांक 20.03.2026 जारी किया जाकर मेल किया गया। समय करीब 11.30 पी.एम पर परिवादी श्री महेश कुमार, सहपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय अहारी व श्री ईश्वर लाल को दिनांक 21.03.2026 को 10.00 ए.एम पर कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय करीब 11.45 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा धोवन की सिल्ड शिशियां, सिल्डशुदा पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, जब्त शुदा रिश्वत राशि व आर्टीकल्स को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित रखने की हिदायत मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह को दी गई। समय करीब 11.55 पी.एम पर श्री करण सिंह एएसआई व श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक को सरकारी बोलेरो से गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने व बन्द हवालात पुलिस थाना सदर डूंगरपुर कराने हेतु मय तेहरीर के रवाना किया। दिनांक 21.03.2026 को समय करीब 01.00 ए.एम पर श्री करण सिंह एएसआई व श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी को राजकीय हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर से स्वास्थ्य परीक्षण करा रवाना हो पुलिस थाना सदर डूंगरपुर पंहुच आरोपी को बन्द हवालात करा परीक्षण रिपोर्ट व पुलिस थाना सदर डूंगरपुर के रोजनामचा आम की प्रतियो के साथ उपस्थित कार्यालय हो मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की जिसे बाद अवलोकन शामील पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय करीब 09.45 ए.एम पर श्री करण सिंह एएसआई व श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी को पुलिस थाना सदर डूंगरपुर से प्राप्त कर ब्यूरों चोकी पर लाने हेतु रवाना किया गया। समय करीब 10.10 ए.एम पर श्री करण सिंह एएसआई व श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ लिपिक मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी को पुलिस थाना सदर डूंगरपुर से प्राप्त कर ब्यूरों चोकी पर पुलिस थाना सदर डूंगरपुर के रोजनामचा आम की प्रति के साथ उपस्थित कार्यालय आये व मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की जिसे शामील पत्रावली की गई। समय करीब 10.15 ए.एम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री महेश कुमार, सहपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय अहारी व श्री ईश्वर लाल हाजिर कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 10.30 ए.एम पर पाबन्दशुदा श्री मानशंकर कटारा पिता श्री भीखा कटारा निवासी मु.पो चितरी तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर हाल अति. विकास अधिकारी प.स. सीमलवाडा जिला डूंगरपुर उपस्थित कार्यालय हो मन् पुलिस उप अधीक्षक को आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी का सेवा विवरण पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया तथा श्री मानशंकर कटारा को कार्यालय कक्ष मे बैठाया गया। समय करीब 11.00 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व आरोपीगण के समक्ष दिनांक 18.03.2026 को सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र एवं आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 20.03.2026 को सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र व आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका के मध्य रिश्वत राशि लेन देन के दौरान हुई वार्ता एव मोबाईल वार्ता जिनकी डब पेनड्राईव कानि वीर विक्रम सिंह न. 189 से प्राप्त कर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री जितेन्द्र कुमार से लेपटाप से कनेक्ट करा उक्त वार्ताओं को बारी-बारी से चलाकर श्री मानशंकर कटारा पिता भीखा कटारा उम्र 52 साल निवासी चितरी पुलिस थाना चितरी तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर हाल अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति सीमलवाडा जिला डूंगरपुर को सुनाई गई, तो उक्त दर्ज वार्ताओ में एक वार्ता श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया। श्री मानशंकर कटारा ने बताया कि मैं पंचायत समिति सीमलवाडा में अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित हू। श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी मेरे अधीनस्थ पदस्थापित है इसलिए मैं श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी की आवाज को पहचानता हूँ तथा अन्य आवाज की पहचान नहीं की गई। समय करीब 11.30 ए.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका के रूबरू मामले हाजा के दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 20.03.2026 को आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका ग्राम विकास अधिकारी ने परिवादी महेश कुमार एवं सहपरिवादी प्रकाश चन्द्र के मकान पटटा हेतु किये गये आवेदन की पत्रावली दोराने ट्रैप कार्यवाही आरोपी श्री रमेशचन्द्र से मांगी गई तो अपने पास होना बताकर अपने घर के अन्दर अन्य रूम से लाकर पेश की गई थी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तो सपरिवादी प्रकाश चन्द्र एंव महेश कुमार दोनो की अलग-अलग पत्रावलीया हो पत्रावली में आवेदन पत्र, उजरदारी नोटिस निरीक्षण रिपोर्ट कार्यवाही विवरण, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, एवं खसरा नक्शा जामाबन्दी लगे हुये उक्त दोनो असल पत्रावलीया एवं आबादी आवंटन/मकान नियमितिकरण बुक प्रस्तुत की थी, बुक पर ग्राम पंचायत माण्डली बुक संख्या 23 व 152 (2) जिसके अन्दर पट्टा क्रमांक 1 से 13 तक पट्टे कटे हुये पटटा क्रमांक 5,7,8 एवं 13 असल पट्टे बुक में लगे हुये हो उक्त पट्टे दिनांक 24.12.2025 को बनाये हुये लेकिन पटटे धारी को पटटे नही दिये गये है एवं उक्त पट्टे बुक के पट्टा क्रमांक 11 व 12 सपरिवादी व परिवादी के नाम पट्टा दिनांक 24.12.2025 को काटा गया है। जिसकी कार्बन प्रतियां लगी हुई है, उक्त सम्पूर्ण की छायाप्रति कराकर प्रमाणित अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत

सीमलवाडा श्री मानशंकर जी पिता भीखाजी कटारा, निवासी चितरी, पुलिस थाना चितरी, जिला डुंगरपुर से उक्त रिकार्ड प्रमाणित छायाप्रतिया ली जाकर असल सम्पूर्ण रिकार्ड अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत सीमलवाडा श्री मानशंकर जी कटारा को सुपूर्द कर सुरक्षित रखने हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द अलग से मुर्तिब कर सम्बधीतो के हस्ताक्षर कवाये गये। तत्पचात समय करीब 12.35 पी.एम पर परिवादी श्री महेश कुमार, सहपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षय अहारी व श्री ईश्वर लाल श्री मान शंकर कटारा अति. विकास अधिकारी को रूकसत किया गया। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से यह पाया गया हैं कि दिनांक 18.03.2026 को समय करीब 03.45 पी.एम परिवादी श्री महेश कुमार डामोर पिता रामलाल डामोर जाति डामोर उम्र 33 वर्ष निवासी माण्डली पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर ने उपस्थित ब्यूरो कार्यालय होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की " निवेदन इस प्रकार है। की मुझ प्रार्थी महेश कुमार डामोर पिता रामलाल डामोर उम्र 33 वर्ष निवासी माण्डली पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर का इस प्रकार है। की मेरे व मेरा भाई प्रकाशचन्द्र के मकान गांव माण्डली में स्थित है। हमारे मकानों के पट्टे नही बने हुए है। पट्टे बनाने हेतु ग्राम पंचायत माण्डली मे ग्राम विकास अधिकारी को आवेदन किया आवेदन किए 3,4 महीने हो गए लेकिन ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेशचन्द्र जी ने हमारे घरो के मौका तो देखा लेकिन पट्टे नही दे रहे है पट्टो के बदले 8000/- रूपयो की रिष्वत की मांग कर रहे थे। मेने मेरे पट्टे के 4000/- रूपये दिए तो मेरा पट्ट दिया लेकिन 4000/- रू. जो लिए उसकी रसीद नही दी मेरे भाई प्रकाश के घर का पट्टा अब तक नही दिया है। ग्राम विकास अधिकारी रमेशचन्द्र 4000/- रूपये की मांग कर रहा मै और मेरा भाई प्रकाश VDO रमेशचन्द्र को रिश्वत राशि नही देना चाहते है। हम उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। अभी मै शिकायत करने आया हु। मेरा भाई प्रकाश मेघरज काम कर रहा है। आगे सीमलवाडा मिल जाएगा ग्राम विकास अधीकारी रमेशचन्द्र से बात करने के लिए मै या मेरा भाई प्रकाश दोनो मै से कोई एक जाएगा मेरे और मेरे भाई प्रकाश के ग्राम विकास अधिकारी रमेशचन्द्र से कोई उधारी लेन-देन बाकी नही है। मै उनको रिष्वत लेते पकडवाना चाहता हु । कार्यवाही करावे।" परिवादी की रिपोर्ट एवं जरिये दरियाफ्त मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर नियमानुसार मांग सत्यापन कराया गया तो दौराने सत्यापन आरोपी ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेशचन्द्र सुवालका द्वारा परिवादी व सपरिवादी दोनो भाईयो के दोनो घरो के पट्टे बनाने की एवज में 8,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की गई परिवादी श्री महेश कुमार द्वारा 4000 रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका को देने पर घर का पट्टा दिया लेकिन उसके भाई सहपरिवादी प्रकाशचन्द्र का पट्टा नही दिया आरोपी ने 4000/- रूपये रिश्वत राशि देने पर ही प्रकाशचन्द्र के घर का पट्टा देने की पुष्टि हुई जिस पर दिनांक 20.03.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया तो आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका द्वारा सपरिवादी श्री प्रकाशचन्द्र से मकान का पट्टा देने की एवज मे अपनी मांग के अनुसार 4000/-रूपये ग्रहण कर गिन कर पहले अपनी पहनी हुई पेन्ट की बाये साईड की जेब मे रखे। तत्पश्चात जेब से वापस निकाल कर पास मे पडे पलग के गद्दे के नीचे रखे जहा से रिश्वत राशि 4000/- रूपये बरामद हुये जो जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका पिता श्री बंशी लाल सुवालका जाति कलाल उम्र 58 निवासी वार्ड नं 05 मुकाम पछमता पुलिस थाना रेलमगरा जिला राजसमंद वर्तमान बी.एस. एन.एल. टावर के पास, गडा पटटा पीठ रोड, सीमलवाडा जिला डूंगरपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत माण्डली तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित हैं। भवदीय, (रतनसिंह राजपुरोहित) पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रमेशचन्द्र सुवालका पिता श्री बंशी लाल सुवालका, जाति कलाल, उम्र 58 साल, निवासी वार्ड नं 05, मुकाम पछमता, पुलिस थाना रेलमगरा, जिला राजसमंद वर्तमान बी.एस.एन.एल. टावर के पास, गडा पटटा पीठ रोड, सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत माण्डली, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईंटे उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 784 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 536-39 दिनांक 23.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SONU SHEKHAWAT **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/03/2026 18:58:02

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)